"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मई 2006—वैशाख 26, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006

क्रमांक 4817/डी-145/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6-5-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) है.

(दो) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होगा.

धारा 2, 3, 3-क, 6, 13 एवं 14 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2, 3, 3-क, 6, 13 एवं 14 में, जहां कहीं भी शब्द एवं अंक ''छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम'' अथवा ''छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995)'' आये हों, के स्थान पर शब्द एवं अंक ''छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005)'' प्रतिस्थापित किये जाएं.

धारा 2 (1) (ग) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में शब्दों एवं अंकों ''भोपाल स्टेट टाऊन कमेटी एक्ट, 1954 (क्रमांक 25 सन् 1954)'' को विलोपित किया जाए.

धारा 13 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, अंकों एवं शब्दों ''3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45-क, 45-ख, 45-ग, 45-गग, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 एवं 80'' के स्थान पर अंकों एवं शब्द ''3, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एवं 71'' को प्रतिस्थापित किया जाए.

अनुसूची-दो का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की अनुसूची-दो में अनुक्रमांक 22 के सामने कालम (3) में अंक ''1'' के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006

क्रमांक 4817/डी-145/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 18 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2006)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (i) This Act may be called Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Amendment) Adhiniyam, 2006 (No. 18 of 2006).

(ii) It shall come into force from First of April 2006.

Amendment of Section 2, 3, 3-A, 6, 13 and 14.

2. In section 2, 3, 3-A, 6, 13 and 14 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Act), wherever the words "Vanijyik Kar Adhiniyam" or the words and figures "Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995)" occur the words and figures "Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)" shall be substituted.

Amendment of Section 2 (1) (C)

3. In clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the principal Act, the words and figures "the Bhopal State Town Area Committee Act, 1954 (No. 25 of 1954)" shall be omitted.

Amendment of Section 13.

4. In section 13 of the Principal Act for the figures and words "3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45-A, 45-B, 45-C, 45-CC, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 and 80" the figures and words "3, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71" shall be substituted.

Amendment of Schedule-II.

5. In Schedule-II of the Principal Act, in column (3) against serial number 22 for the figure "1" the figure "10" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.